न्यायालय–मनीष कुमार लोवंशी विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),इंदौर (म.प्र.)

प्रतिभूति आवेदन क्रमांक 1522/2026

अपराध क्रमांक 207/2025

फाईलिंग नं. 27687/2026

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अपराध शाखा, इंदौर, मध्यप्रदेश .....अभियोगी/फरियादी

वि रू द्ध

अनस पिता निजाम अली, उम्र–27 वर्ष,
निवासी–108, आनंद कालोनी, माणक चौक,
जिला–रतलाम म.प्र. .....आवेदक/अभियुक्त

————————————————————————————————

27-04-2026

राज्य द्वारा श्री श्याम दांगी विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त अनस द्वारा श्री प्रज्जवल ओझा अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक/आरोपी अनस के जमानत आवेदन के संबंध में केस डायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र अपराध शाखा, इंदौर से अपराध क्रं. 207/2025 अंतर्गत धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. का प्रतिवेदन प्राप्त।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर उभयपक्ष को सुना गया।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा एमसीआरसी क्र. 8227/23 (दीपक यादव विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी.) में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में विवरण :–

पुलिस थाने का नाम	अपराध शाखा
अपराध क्रमांक	207/2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.12.2025
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	02.12.2025
अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास	04
जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रक्रम	अभियोजन साक्ष्य
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	27.01.2026

आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन संक्षेप में यह हैं कि जप्त मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम है। सहअभियुक्त भय्यू उर्फ

असलम द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकर किया गया है। आवेदक का प्रकरण सहअभियुक्त के समान होने से आवेदक समानता के आधार पर जमानता पाने का अधिकारी है। उसका उक्त अपराध से प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। जमानत का लाभ दिए जाने पर वह प्रकरण के विचारण में वह पूर्ण सहयोग करेगा व साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः उसे प्रकरण में जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन के सम्बन्ध में उसके भाई सैययद नासिर अली का शपथपत्र पेश किया गया है।

राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्रों का घोर विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.12.2025 को सहायक उपनिरीक्षक सत्येंन्द्र सिंह जादौन मय हमराल बल के शहर में अवैध मादक पदार्थ क्रय–विक्रय करने वाले संदेहियों की पतारसी में रवाना होकर चैतन्य पंचमुखी हनुमान मंदिर एम.आर.–04 रोड़, इंदौर पहुॅचे, जहॉ रोड़ के साईड में दो व्यक्ति एक सफेद कलर की स्विफ्ट कार में बैठे हुए दिखे, जिनसे पूछताछ किए जाने पर उन्होंने अपना नाम भय्यु उर्फ असलम पिता अब्दुल हमीद व अनस पिता निजाम अली बताया, जिनसे पूछताछ किए जाने पर कभी कुछ कभी कुछ बताने लगे, जिनका आचरण संदेहास्पद लगने से उनकी तलाशी लिए जाने पर उनके आधिपत्य की कार से डेशबोर्ड के बॉकस से एक प्लास्टिक की सफेद रंग की पन्नी मिली, जिसे खोलकर देखते उसमें भूरे मटमले रंग का दरदरा पावडरनुमा पदार्थ जिसमें से तीक्ष्ण गंध आ रही थी। जिसकी पहचान एम.डी मादक पदार्थ के रूप में की जाकर उसे तौले जाने पर उसका वजन 15 ग्राम होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ एवं स्विफ्ट कार को जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया और थाने आकर अपराध क्रं 207/2025 अंतर्गत धारा 8/22 एन.डी. पी.एस पर अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त भययू ने अपने मेमोरेंडम में उक्त मादक पदार्थ अपने साथी अनस के साथ जुनैद निवासी जावरा रतलाम से लाना स्वीकार किया है, जो वर्तमान में फरार होकर उसके विरूद्ध विवेचना जारी रखते हुए शेष अभियुक्तगण के संबंध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अभिलेख एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि आवेदक/आरोपी अनस व सहअभियुक्त भययु उर्फ असलम के संयुक्त आधिपत्य से 15 ग्राम मादक पदार्थ एम.डी. की जप्ती हुई है। आवेदक/अभियुक्त 27 वर्षीय होकर दिनांक 02.12.2025 से अभिरक्षा में है।

सहअभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. कं. 18308/2026 आदेश दिनांक 24.04.2026 के द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है। जप्तशुदा मादक पदार्थ अभियुक्त के संयुक्त आधिपत्य से जप्त होकर वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रकरण अभी प्रारंभिक स्तर पर होकर उसके विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी अभिलेख पर नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में आवेदक/अभियुक्त **अनस** को नियमित जमानत पर उन्मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त **अनस** की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0ना0सु0सं0 स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि उसकी ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य **25,000/–** रूपये की **सक्षम प्रतिभूति** एवं इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किये जाने पर उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे :–

1– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपरिहार्य कारण को छोड़कर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की प्रति आरक्षी केन्द्र अपराध शाखा, इंदौर की ओर एवं एक प्रति केंद्रीय जेल, इंदौर की ओर अभियुक्त को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश सी.आय.एस. में अपलोड किया जावे।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक पूर्ववत् दिनांक 29.05.2026 को पेश हो।

SD
(मनीष कुमार लोवंशी)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), इंदौर (म0प्र0)

MANISH KUMAR LOWANSHI
Digitally signed by MANISH KUMAR LOWANSHI
Date: 2026.04.27 16:15:56 +0530